

न्यायालय राजस्व माण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष: एम०के० सिंह  
सदस्य

करण कर्मांक निगरानी 185-एक/12 निग० 957-दो/13 विरुद्ध आदेश  
दिनांक 9-01-13 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर प्रकरण  
कर्मांक 13/11-12/अपील

निगरानी 185-एक/12

अशोक नार पुत्र नाथूराम  
निवासी म बराठा जिला झांसी हाल निवासी  
ग्राम प्या ल तहसील भाण्डेर जिला दतिया

----- आवेदक

श्रीमती श्री देवी पुत्री हरीहर शर्मा पत्नी लक्ष्मी चन्द पटेरिया,  
निवासी टल नगर उरई जिला जालौन उ.प्र.

----- अनावेदक

निगरानी 957-दो/13

श्रीमती श्री देवी पुत्री विश्वनाथ पत्नी लक्ष्मी चन्द पटेरिया,  
निवासी ग्राम प्यावल, तहसील भाण्डेर जिला-दतिया  
हाल नि सी पटेल नगर उरई जिला जालौन उ.प्र.

----- आवेदक

अशोक नार पुत्र नाथूराम  
निवासी म बराठा जिला झांसी हाल निवासी  
ग्राम प्या ल तहसील भाण्डेर जिला दतिया

----- अनावेदक

- १ रामसोवक शर्मा, अधिवक्ता आवेदक की ओर से  
(प्र.क. नि. 185-दो/13 में एवं अनावेदक की ओर से निग. 957-दो/13) में  
२ आर.डी. शर्मा, अधिवक्ता आवेदक की ओर से  
(प्र.क. नि. 957-दो/13 में एवं अनावेदक की ओर से निग. 185-दो/13) में

:: आदेश ::

( आज दिनांक 11-09-2014 को पारित )

ये दोनों नेगरानिया अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कर्मांक  
143/11-12/ पील में पारित आदेश दिनांक 09-01-13 के विरुद्ध म.प्र. सू. राजस्व  
संहिता 1959 ( जसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय  
में प्रस्तुत की ग. है ।



2/ प्रकरण के मुख्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय भाण्डेर द्वारा प्र.क. 3/090-10/अ 6 में पारित आदेश दिनांक 17.09.10 व द्वारा ग्राम प्यावल की भूमियों पर भूमिरवामी श. तेवाई के फौत होने पर वसीयत के आधार पर अशोक कुमार के हक में नामांतरण के आदेश दिये गये । इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील की जो उन्होंने अस्वीकार की । जिसके विरुद्ध लक्ष्मीदेवी आवेदक /अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये एवं अपील आंशिक रूप से स्वीकार की । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अस्वीकार किये जाने पर इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3/ आवेदक प्रनावेदक अशोक कुमार की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड का अवलोकन किये बिना महज कलम के आधार पर आदेश पारित किया है । अपर आयुक्त ने इस बिंदु पर भी विचार नहीं किया कि लक्ष्मीदेवी विश्वनाथ की पुत्री न होते हुए हरीहर शर्मा की पुत्री है जोकि शांतिदेवी की वारिस नहीं है । अपर आयुक्त ने इस बिंदु को भी अनदेखा किया है कि प्रश्नाधीन संपत्ति की मालिक शांतिदेवी व उनके पति विश्वनाथ है । उन दोनों के द्वारा आवेदक अशोक कुमार के पक्ष में पंजीकृत वसीयत संपादित की गई है ।

4/ आवेदक अनावेदिका लक्ष्मीदेवी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त का आदेश विधिवत है जिसमें केवल आवेदिका के नामांतरण की आज्ञा प्रदान किए जाने के बलावा इस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है । अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाने से यही आशय निकलता है कि आवेदक के नाम नामांतरण किया जाये किंतु आदेश में इस आशय की आज्ञा प्रदान किया जाना रह गया है । उक्त आधार पर आवेदिका के नाम नामांतरण किए जाने की सीमा तक अपर आयुक्त के आदेश को संशोधित किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में अशोक कुमार द्वारा वसीयत के आधार पर तथा लक्ष्मीदेवी द्वारा वारिसाना आधार पर नामांतरण की मांग की गई है । अपर आयुक्त के आदेश का सूक्ष्म अवलोकन करने से यह आशय निकलता है कि उन्होंने उभयपक्ष के मध्य



व्यवहार वाद लंबित है इसलिए उन्होंने व्यवहार वाद के अंतिम निराकरण तक कार्यवाही स्थगित रखना उचित माना है उक्त आधार पर ही उन्होंने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त किया गया है । न्यायदृष्टांत 1987 सी.सी.एल.जे. नोट 65 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि -

“ भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 110 - विवादस्पद भूमि - स्वत्वाधिकार घोषणा के लिए सिविल वाद विचाराधीन - उचित प्रक्रिया यह है कि राजस्व न्यायालय की कार्यवाही सिविल वाद के निराकरण तक प्रारथगित की जाय । ”

इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1976 आर०एन० 116 में राजस्व मंडल द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि -

“ भू-राजस्व संहिता, 1959 (म०प्र०) - धारा 109 तथा 110 सिविल वाद लंबित राजस्व न्यायालय को व्यवहार न्यायालय के निर्णय तक रूकना चाहिए । ”

उपरोक्त न्यायदृष्टांतों तथा इस वैधानिक बिंदु को देखते हुए कि स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होगा तथा राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा, के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त के आलाच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर ये दोनों निगरानियां निरस्त की जाती हैं ।

( एम.के. सिंह )

सदस्य,

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,  
ग्वालियर